27/8/19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.10.19 को पेश हो।

21/10/19 उ०प्र० पेश हुए वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी सायं 5.30 Pm तक कई बार आवाज लगाने के बावजूद भी हाजिर नहीं। अतः प्रा०-पत्र प्रार्थी अग्रिम हाजरी एवं अग्रिम पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। उ०प्र० फैसला शुमार होकर नस्ती है। फर्म को सार्थक उत्तर दो।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर